

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

पत्रांक:- 2494

पटना/दिनांक:- 8/5/2020

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल^{मा0प्र0से0}
सरकार के सचिव,

सेवामें,

सभी जिलाधिकारी,
बिहार।

विषय :- अन्य राज्यों से विशेष रेलगाड़ी द्वारा बिहार आनेवाले छात्र/श्रमिकों को उनके गृह जिला तक पहुँचाने में व्यवहृत बसों के सैनिटाइजेशन के संबंध में महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-2400 दिनांक 05.05.2020 द्वारा विभिन्न राज्यों से विशेष रेलगाड़ी द्वारा बिहार आनेवाले छात्र/श्रमिकों को उनके गृह जिला तक पहुँचाये जाने वाले बसों के सैनिटाइजेशन हेतु आवश्यक निदेश दिये गये थे। (प्रतिलिपि संलग्न)।

आप सभी अवगत हैं कि COVID -19 के संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु देश में लॉकडाउन अभी भी लागू है। उक्त परिस्थिति में राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में देश के विभिन्न राज्यों से छात्रों/श्रमिकों को विशेष ट्रेनों द्वारा राज्य के विभिन्न रेलवे जंक्शनों/स्टेशनों पर लाये जाने की प्रक्रिया अभी जारी रहने की संभावना है। इसके फलस्वरूप संबंधित रेलवे स्टेशनों पर उन्हें रेल से उतारकर बसों द्वारा उनके गंतव्य जिले तक पहुँचाने की व्यवस्था जारी रहेगी। फलतः बड़ी संख्या में बाहर से आनेवाले छात्रों एवं प्रवासी श्रमिकों को इस संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा व्यवहृत होनेवाले इन बसों का सैनिटाइजेशन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एवं स्थानीय स्तर पर भी पूर्ववत् किया जाय। गंतव्य जिले में भी पहुँचने पर इन यात्रियों द्वारा बस खाली करने के पश्चात्, पुनः उपयोग से पूर्व इसका सैनेटाइजेशन किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इन बसों के उपयोग से यात्रियों को COVID-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये इन बसों का नियमित रूप से प्रतिदिन अपने जिले के अंतर्गत सैनिटाइजेशन कराने की कार्रवाई की जाय। इस कार्य हेतु स्थानीय नगर निगम/नगरपालिका एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की सहायता ली जा सकती है।

उपर्युक्त निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन

Handwritten signature
7/5/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:- 2494

पटना / दिनांक:- 8/5/2020

प्रतिलिपि :- सभी नगर आयुक्त / मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-असैनिक शल्य चिकित्सक / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

li an
7/5/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।